राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.23 (12) परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/ 2017/1560 जयपुर, दिनांकः 22/01/18

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
..................................समस्त।

विषयः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रबूयनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में लम्बित प्रकरण OA NO.21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में राजस्थान राज्य के एन.सी.आर. क्षेत्र हेतु जारी आदेशों की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रबूयनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में लम्बित प्रकरण OA NO.21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में राजस्थान राज्य के एन.सी.आर. क्षेत्र हेतु जारी आदेश दिनांक 20.07.2016 की पालना में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **10 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से आयु तक के डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से deregistered किया जावे।**

   "To start deregistration with reference to the oldest of the vehicle, In other words at the first step the vehicle which are more than 15 years old would be deregistered and then gradually other vehicles would be deregistered from 15 years to 10 years respectively".

   इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक पुराने पैट्रोल वाहनों को भी deregistered किया जावे अर्थात् ऐसे वाहनों को NCR से भिन्न क्षेत्र के लिए NOC जारी की जावे। ऐसे deregistered किये जा चुके वाहनों का राजस्थान राज्य के एन. सी. आर क्षेत्र (अलवर एव भरतपुर जिलों) में संचालन पर पूर्णतया रोक रहेगी। इन जिलो में ऐसे 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल एवं 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल deregistered वाहनों का संचालन पाए जाने पर इन्हे जब्त किया जावें। ऐसे वाहनों की जब्ती के लिए बनाई गई फर्द में माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों, मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों तथा Environment Protection Act, 1986 के उल्लंघन का उल्लेख किया जावे। इन्हें कम्पाउण्ड किये जाने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशमन राशि वसूल की जावे तथा इसके साथ–साथ environment compensation charge के रुप में 5000/– रुपये की राशि भी आवश्यक रुप से वसूल की जावे। ऐसे वाहनों को रीलीज किये जाने से पूर्व राजस्थान राज्य के अन्य जिलो/अन्य राज्यों(एन.सी.आर. को छोडकर) के लिए आवश्यक रुप से एन.ओ.सी./टी.सी.सी. जारी की जावें।

2. **10 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष तक की आयु वाले डीजल वाहनो हेतु**
   - ऐसे वाहनो के लिए एन.ओ.सी/टी.सी.सी. अन्य राज्यों/जिलों (एन.सी.आर. रीजन को छोडकर) के लिए जारी किया जावे।
   - ऐसे वाहनो के फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने की स्थिति में राजस्थान मोटरयान नियम,1990 के नियम 4.18(8)के अंतर्गत वाहनो को एन.ओ.सी/टी.

सी.सी. destination तक ले जाने के लिए उपयुक्त journey period हेतु अस्थायी फिटनेस जारी की जावें।

- ऐसे वाहनो के HPN Termination / Duplicate RC हेतु आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अन्य राज्यो/अन्य जिलों (एन.सी.आर. क्षेत्र को छोडकर) हेतु उक्त कार्यो के साथ ही आवश्यक रूप से एन.ओ.सी/टी.सी.सी. भी जारी की जावे। ऐसे वाहनों के लिए उक्त सर्विसेज को छोड़कर अन्य कोई सर्विस उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

3 15 वर्ष से अधिक आयु के डीजल वाहनो हेतु

एन.सी.आर. में सम्मिलित राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिलों में पंजीकृत 15 वर्ष से अधिक पुराने व BS-I एवं BS-II वाहनो को scrap धोषित किया जाकर इन वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किये जावें एवं इन वाहनो हेतु किसी भी जिले हेतु एन.ओ.सी/टी.सी.सी जारी नहीं की जावे। इन वाहनों के संचालन पर पूर्णतः रोक रहेगी।

4. 15 वर्ष से अधिक आयु के पैट्रोल वाहनो हेतु

एन.सी.आर. में सम्मिलित राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिलो में 15 वर्ष में अधिक आयु के पुराने पैट्रोल वाहनो हेतु राजस्थान राज्य के अन्य जिलो/अन्य राज्यों(एन.सी.आर. को छोडकर) के लिए एन.ओ.सी./टी.सी.सी. जारी की जावें।

5. 15 वर्ष से अधिक पुराने अन्य राज्यो के एन.सी.आर. से आने वाले डीजल वाहनो हेतु

दिल्ली. हरियाणा, पंजाब एवं उत्तरप्रदेश राज्यों के एन.सी.आर. में सम्मिलित क्षेत्र के जिलो से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पैट्रोल वाहनों हेंतु राजस्थान राज्य के किसी भी जिले में वाहन के Transfer/Assignment/Permit का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावे।

उक्त दिशा–निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव